न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 44 आर 15/07–08

जतरु उरॉव अपीलकर्ता

बनाम

लीलु उरॉव प्रतिवादी

आदेश

14/ 2.05.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 324/05–06 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 6.03.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
हेसल	13	1005	
		1006	25 कट्ठा
		1017	

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन अपीलकर्ता के पिता बुधु उरॉव ने निबंधित छपरबंदी बिक्री पट्टा संख्या 221 द्वारा 1954 में भगत उरॉव पिता मकरु उरॉव से खरीदा था एवं लगातार दखलकार रहे। उन्होंने विवादित जमीन पर मकान का निर्माण किया था। वर्तमान में अपीलकर्ता एवं उसके भाई खेसरा संख्या 1017 रकबा 45 डिसमिल में स्थित 6 पुराने मकानों में दखलकार हैं। अपीलकर्ता लगातार सरकार को छपरबंदी लगान का भुगतान कर रहे हैं एवं रॉची नगर निगम को कर भी अदा कर रहे हैं। नगर निगम में अपीलकर्ता का होल्डिंग नम्बर 701/2 है। अपील आवेदन में यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि नोटिस का सही ढंग से तामिला किया ही नहीं गया। अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।

प्रतिवादी नोटिस प्राप्त करने के बावजूद इस वाद में उपस्थित नहीं हुए अतः वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गयी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया।

इस वाद से संबंधित सभी कागजातों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने भूमि को 1954 में खरीदा था जबकि आदिवासी से आदिवासी के बीच भू–हस्तांतरण हेतु सक्षम पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक थी। प्रथम पक्ष ने छपरबंदी परिवर्तन की बात कही है लेकिन दस्तावेजों के अभाव में यह विश्वसनीय नहीं है।

अपीलकर्ता का यह भी कथन सही नहीं लगता है कि निम्न न्यायालय ने उन्हें मौका नहीं दिया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पर नोटिस का तामिला किया गया था परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अतएव यह अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय के भूमि वापसी का आदेश यथावत रहेगा और अंचल अधिकारी शहर उसका अनुपालन करेंगे।

दिनांकः– 2.05.2008

लेखापित वो संशोधित

ह0/–

अपर समाहर्ता
रॉची।